21

22/5/18 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष
उपरोक्त प्रार्थना पत्र 07 R 11 a 151 CPC
में प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण ने निवेदन किया
है कि वादी ने इकरारनामा के आधार पर
राजस्व न्यायालय में यह वाद पेश किया
है जो माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार
एवं क्षेत्राधिकार में नहीं है। इकरारनामा के
आधार पर वाद सिविल न्यायालय में पेश
किया जा सकता है इसलिए वादी को इस
प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण के विरुद्ध वाद पेश
करने का वाद हेतुक भी प्राप्त नहीं है।
इसलिए वादी का वाद पत्र खारिज फरमाया
जावे। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों
का अवलोकन किया। वादी द्वारा इकरार-
नामा के आधार पर अनुतोष चाहा है।
समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी
परिपत्र दिनांक 05.04.2006 के अनुसार
जिन मामलो में विक्रय करने का अनुबंध
(Agreement to Sale) हो चुका है, उन
मामलो में विवाद मानते हुए मामले को
सुनवाई हेतु नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि

— लगातार —

Scanned by CamScanner

...ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ... की जो ... शामिल में
	(Agreement to Sale) विक्रय नहीं है। व (Agreement to Sale) के सम्बन्ध में सुनवाई का अधिकार सिविल न्यायालय को है ना कि राजस्व न्यायालय को है।। अतः प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 07R11 व 151CPC स्वीकार किया जाकर वादी का वाद प्रश्नगत राजस्व सर्कल के परिपत्र दिनांक 05.04.2006 के अनुसरण में इस न्यायालय को इकरारनामा के आधार पर सुनवाई का अधिकार नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुदा होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। उप जिला कलेक्टर श्री विजयनगर	

Scanned by CamScanner